

न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर, ( छत्तीसगढ़ )

:: अधिसूचना ::


सूरजपुर, दिनांक 30/09/2015

क्र०/ 5481 /भू-अर्जन/2015 :: भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत रा.प्र.क्र.01/अ-82/14-15, दिनांक 01/05/2015 द्वारा जारी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

:: संशोधन ::

उक्त रा.प्र.क्र.01/अ-82/14-15, दिनांक 01/05/2015 द्वारा जारी अनुसूची में कालम-7 में "रेलवे यार्ड हेतु भूमि" के स्थान पर शब्द "रेलवे लाईन की अतिरिक्त भूमि एवं रेलवे यार्ड हेतु भूमि" पढ़ा जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
( जी.आर.चुन्द्रे )  
कलेक्टर  
जिला-सूरजपुर  
एवं पदेन संयुक्त सचिव  
छ.ग.शासन, राजस्व एवं प्रबंधन विभाग